न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री जगदीश चन्द्र बिश्नोई
प्रकरण संख्या – 05/2018
अनवान – चिमन लाल, दिनेश कुमार पि. मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम सरकारआम।
किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।
वसीयतकर्त्ता का नाम – मुरारी लाल पुत्र कोडा राम जाति अरोड़ा निवासी श्री करणपुर

–: निर्णय :–

दिनांक –

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी चिमन लाल, दिनेश कुमार पि. मुरारी लाल जाति अरोडा निवासी श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता मुरारी लाल पुत्र कोडा राम जाति अरोडा निवासी श्री करणपुर ने चक 2 एफए के मु.नं. 02 में कुल 08.18 बीघा मु.नं. 24 के 11.16 बीघा व मु.नं. 64/22 का 0.04 बीघा कुल 20.18 बीघा नहरी मय खाला भूमि की वसीयत दिनांक 24.03.2005 को चिमन लाल, दिनेश कुमार पि. मुरारी लाल जाति अरोडा निवासी श्री करणपुर के पक्ष में की है, जिसका प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटरी प्रमाणित वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता ने चक 2 एफए के मु.नं. 02 में कुल 08.18 बीघा मु.नं. 24 के 11.16 बीघा व मु.नं. 64/22 का 0.04 बीघा कुल 20.18 बीघा नहरी मय खाला भूमि चिमन लाल, दिनेश कुमार पि. मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी श्री करणपुर के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत पत्र नोटरी, श्री करणपुर से दिनांक 24.03.2005 को प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 09.04.2017 को हुई है, पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा ई.नं. 432 दिनांक 02.02.2019 की प्रति पेश की जिसमें रकबा अन्य व्यक्ति को बेचान किया गया है। मुरारी लाल के पास बेचान के बाद 1.518 रकबा शेष बचता है।

पटवारी हल्का रडेवाला से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 2 एफए की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के अनुसार खा.सं. 44/36 के मु.नं. 2/2.252 मु.नं. 24/2.986 नहरी, 64/22 में 0.050 हैक्ट. खाला कुल 5.288 हैक्ट. नहरी मय खाला दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, पेतृक है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन, बेय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक भूअ./वसीयत/9884 दिनांक 03.07.2020 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 07.07.2020 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाह रमेश कुमार पुत्र बालकिशन जाति अरोड़ा निवासी श्री करणपुर ने दिनांक 27.07.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता मुरारी लाल पुत्र कोडा राम जाति अरोड़ा निवासी श्री करणपुर द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया। उक्त भूमि पैतृक होने के कारण वारिसों/पुत्रीयों रेखा रानी, आशा रानी उर्फ उषा रानी, विमला रानी के बयान करवाये गये जिसमें उन्होंने भूमि वसीयत अनुसार दर्ज करने पर सहमति जताई।

24.8.21

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं सीमा सन्देश में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार (भू अ.)
तहसीलदार (भू अ.)
श्री करणपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू अ) श्रीकरणपुर

क्रमांक/भू अ/2020/

दिनांक 2-9-20

वसीयत आदेश की प्रति हल्का पटवारी रडेवाला को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर